विचार बिन्दु

दुर्वचन पशुओं तक को अप्रिय होते हैं। –बुद्ध

लोकतंत्र की कसौटी पर चुनावी बांड का आकलन

लोकतंत्र की सार्वभौमिक पहचान में कई प्रमुख सिद्धांत शामिल हैं, जिनमें बोलने, सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे व्यक्तिगत मानवाधिकारों की सुरक्षा शामिल है; कानून का शासन, कानून के समक्ष सबकीसमानता, पारदर्शी और उत्तरदाई शासन; नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जहां नागरिकों को वोट देने और अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है; निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी; स्वतंत्र न्यायपालिका; अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा; प्रेस व पत्रकारिता की स्वतंत्रता; और शक्ति के संकेंद्रणव दुरुपयोग रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली भी शामिल है। ये मूलभूत सिद्धांत सामूहिक रूप से एक मजबूत और जीवंत लोकतांत्रिक समाज की नींव बनाते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें आप लोकतंत्र की कसौटी कह सकते हैं जिसका प्रयोग कर आप किसी भी व्यवस्था के कार्यों के लोकतांत्रिक होने या न होने की जांच-पडताल कर सकते हैं।

आइये, इन सार्वभौमिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों की कसौटी पर भारत में इलेक्टोरल बांड की खरीद और प्राप्तकर्ताओं के सन्दर्भ में एक विश्लेषण करते हैं। यह एक आम बात है कि भ्रष्टाचार को रोकने और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के उद्देश्य से राजनीतिक चंदे का पारदर्शी संचालन होना चाहिए। चुनावी चंदे के बारे में नागरिकों को जानने का अधिकार है और लोगों को यह जानकारी देकर राजनीतिक दलों को उत्तरदाई ठहराया जा सकता है। इससे नागरिक समुचित निर्णय ले सकते हैं। फिर भी, यहाँ यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि इस मुद्दे के संबंध में उपलब्ध विधान और उसकी कानूनी वैधता आदि का वर्तमान में न्यायालय में आकलन किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप यह विषय एक बार पुन: देश में गंभीर चर्चा में आ गया है।

लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रकाश में भारत में चुनावी बांड की उत्पत्ति और प्राप्तकर्ताओं की जानकारी का खुलासा नागरिकों को किया जाये या नहीं इस के नैतिक और कानूनी निहितार्थों के संबंध में विविध व्याख्याएं और दृष्टिकोण मौजूद हैं। सारांश में इन्हें देखना समीचीन रहेगा।

नैतिक दृष्टिकोण से पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र के मूलभूत स्तंभ हैं। नागरिकों को राजनीतिक फंडिंग स्त्रोतों का खुलासा और पूर्ण जानकारी प्राप्त करना लोगों का मौलिक अधिकार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा होती है और भ्रष्ट प्रथाओं या अनुचित प्रभाव की घटना को रोकने में मदद मिलती है। चुनावी बांड की उत्पत्ति और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करके पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है। इससे मतदाता निर्णय लेने और राजनीतिक दलों को उनके मौद्रिक लेनदेन के लिए जिम्मेदार ठहराने में सक्षम हों सकेंगे।

कानूनी दृष्टिकोण से चुनावी बांड की उत्पत्ति और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा एक जटिल कानूनी स्थिति वाला एक विवादास्पद मुद्दा है। चुनावी बांड के कार्यान्वयन के पीछे प्राथमिक उद्देश्य दाताओं की गोपनीयता की रक्षा करना और उन पर निर्देशित किसी भी संभावित प्रतिकूल प्रतिक्रिया या पूर्वाग्रह को रोकना था। फिर भी, विरोधियों का तर्क है कि पारदर्शिता की यह अनुपस्थिति क्विड प्रो क्वो (यानी, कुछ के लिए कुछ) सहित राजनीतिक संगठनों के वित्तीय लेनदेन की जांच करने की व्यक्तियों की क्षमता को बाधित करके लोकतांत्रिक सिद्धांतों को नष्ट कर देती है।

उदाहरण के लिए, एक कॉर्पोरेट समूह, अनुकूल नीति परिवर्तन की अन्दर ही अन्दर मांग करते हुए, चुनावी बांड के माध्यम से एक राजनीतिक दल को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय ले सकता है। बदले में, पार्टी ऐसी नीतियां पेश करती है जो उसकॉर्पोरेट घराने के हितों के अनुरूप होती हैं। यह अदला-बदली की स्थिति वाली व्यवस्था राजनीति में धन के प्रभाव और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के साथ समझौते की आशंका के बारे में चिंताउत्पन्न करती है। यह लोकतंत्र के लिए सतत चुनौती है। संबंधित कॉर्पोरेट घराने द्वारा प्रदान की गई फंडिंग तथाउनके पक्ष में नीतिगत बदलाव एक दुष्चक्र पैदा कर सकने में सक्षम हैं। विशेष कॉर्पोरेट घराना अनुकूल नीतियों के कारण अधिक कमाई करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप सत्ता में उसी मित्रवत राजनीतिक दल को पुन: अतिरिक्त चंदा मिलता है। यह दुष्प्रभाव के दुष्चक्र को बनाये रखता है और संभावित रूप से प्रतिनिधित्व की विविधता को सीमित करता है और चुनावों में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को रोककर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करता है।

कुछ ऐसे कॉरपोरेट घराने जो मुनाफा नहीं कमा रहे हैं किन्तु चुनावी बांड के माध्यम से धन क्यों मुहैया कराते हैं? रोचक बात यह है कि ऐसे कुछ कॉरपोरेट घरानों के उदाहरण हैं, जिन्होंने नीति निर्माताओं तक प्रभाव और पहुंच प्राप्त करने के लिए चुनावी बांड के माध्यम से धन मुहैया कराया है, और करा सकते हैं, भले ही वे वर्तमान में घाटे में चल रहे हों। स्वाभाविक है कि उनका लक्ष्य,सत्ता में एक राजनीतिक दल का समर्थन करके अपने पक्ष में नीतियों को आकार देना, नियामक लाभ सुरक्षित करना और अपने दीर्घकालिक हितों की रक्षा करना है। यह रणनीतिक निवेश उन्हें एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाए रखने और उनकी वर्तमान लाभप्रदता की परवाह किए बिना, उनके लाभ के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को संभावित रूप से प्रभावित करने में सक्षम बनाता है।

प्रारंभिक विश्लेषण भी चुनावी बांड की शुरूआत को प्रतिगामी उपाय ही बताते हैं क्योंकि यह चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता को मूलभूत रूप से बदल देता है। बांड के खरीदार और प्राप्तकर्ता की पहचान को नागरिकों और समाज से छिपाकर सत्तारूढ़ पार्टी क्या अनुचित लाभ दे रही है या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो पाता।

यह स्थिति एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है: इस प्रकार का चंदा की प्रक्रिया लोकतंत्र से कैसे समझौता करती है? यह प्रक्रियादलों के मध्य असमानता बढ़ाती है और समान प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को कमजोर करके लोकतंत्र से समझौता करती है। जब कॉर्पोरेट घराने सत्ता में मौजूद किसी राजनीतिक दल को अनुपातहीन रूप से बड़ी धनराशि मुहैया कराते हैं, तो इससे सत्ता और प्रभावित केवल कुछ राजनीतिक संस्थाओं के हाथों में केंद्रित हो जाती है निरंतर केन्द्रित रह सकती है। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत कर सकता है, क्योंकि नीतियां और निर्णय जनता के व्यापक हितों के बजाय इन निगमों के हितों से प्रभावित हो सकते हैं। यह एक ऐसी सरकार की धारणा को ख़त्म कर सकता है जो लोगों के हितों की सेवा करती है। इसके बजाय वित्तीय समर्थन वाले लोगों के एजेंडे को प्राथमिकता मिलाने लगती है। ऐसी स्थिति समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष और समान प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक आदर्श को कमज़ोर करता है।

हालाँकि चुनावी बांड पर बहुत अधिक शोध नहीं हुआ है, लेकिन कुछ शोधपत्रों ने कंपनी के मूल्य और परिचालन प्रदर्शन पर भारतीय उद्यमों की राजनीतिक निकटता और नकदी-धारण व्यवहार के प्रभाव का पता लगाया है। उदाहरण के लिए 2009 और 2019 के बीच भारत में तीन आम चुनावों के दौरान सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के लिए राजनीतिक दान और राजनीतिक संबंधों के एक बड़े डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि राजनीतिक रूप से जुड़ी कंपनियों ने कम जुड़े या नहीं जुड़े समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन किया। इसके अलावा, राजनीतिक रसूख और उच्च नकदी शेष वाली भारतीय कंपनियों का अंतत: प्रीमियम पर मूल्यांकन होता पाया गया है। विभिन्न कारकों को ध्यान में रखने के बाद किये गए सांख्यिकीय विश्लेषण में भीये निष्कर्ष स्थिर, मजबूत और विश्वसनीय बने रहते हैं। जैसा कि अब सर्वविदित है, वित्त विधेयक 2017 में संशोधन ने चुनावी बांड का विधान प्रस्तुत किया था।इन प्रावधान ने बड़े दान के माध्यम से बड़े उद्योग-धंधों और सरकारों के बीच संबंधों को बढ़ाया है (देखें के. गांगुली इत्यादि, इमर्जिंगमार्केट्स फाइनेंस एंड ट्रेड, 59(10): 3241-3265, 2023).

एक अन्य अध्ययन से पता चलताहै कि चुनावी बांड वस्तुत: कॉर्पोरेट घरानों के लिए अपने राजनीतिक चंदे को छुपाना आसान बनाते हैं, क्योंकि वे यह नहीं बताते कि चंदा किस राजनीतिक दल के लिए है। कंपनियां नई चुनावी बांड योजना की ओर आकर्षित हो रही हैं, जो इस शोध के निष्कर्षों के अनुसार मनीलॉन्ड्रिंग की आशंका को बढ़ा देती है। हालाँकि मामला अब अदालत में है, तथापि पूर्व में त्वरित निर्णय देने की विफलता के कारण यह प्रश्न तो उठता है कि क्या न्यायपालिका ने संविधान के अंतिम मध्यस्थ और रक्षक के रूप में अपनी ज़िम्मेदारी से खुद को मुक्त कर लिया था? खैर, जो भी हो, शोध यह सिद्ध करती है कि चुनावी बांड के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को अनुचित लाभ मिलता है। गोपनीयता और गुमनाम लेनदेन लोकतंत्र में जवाबदेही को कमजोर करते हैं और इस प्रकार, चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को भी दुर्बल करती है। संक्षेप में, इलेक्टोरल बांड के प्रावधान ने देश में लोकतंत्र की स्थिति को और कमज़ोर किया है, क्योंकि इस व्यवस्था में यह तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाता कि ऐसे चंदे के परिणामस्वरूप जो कॉर्पोरेट घरानों द्वारा मतदाताओं को अंधेरे में रखकर पार्टी फण्ड में दिया गया है, के कारण चंदा-प्राप्त सत्तारूढ़ दल द्वाराउन कॉर्पोरेट घरानों को किस प्रकार की नीति बनाकर या देश के कौन से संसाधनों तक कॉर्पोरेट की पहुँच सुनिश्चित कर समर्थन प्रदान किया गया है (देखें, डी. आनंद, जर्नल ऑफ लिबर्टी एंड इंटरनेशनल अफेयर्स 9(1):89-100, 2023)।

प्रारंभिक विश्लेषण भी चुनावी बांड की शुरूआत को प्रतिगामी उपाय ही बताते हैं क्योंकि यह चुनावी फंडिंग की पारदर्शिता को मूलभूत रूप से बदल देता है। बांड के खरीदार और प्राप्तकर्ता की पहचान को नागरिकों और समाज से छिपाकर सत्तारूढ़ पार्टी क्या अनुचित लाभ दे रही है या नहीं, यह ज्ञात नहीं हो पाता। शोध में यह भी चिंता प्रकट की गई है की यह व्यवस्था चुनाव आयोग की निरीक्षण और नियंत्रण की भूमिका भी कमजोर करती है (के.के. जसवाल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 54(21):32-36, 2019)। इससे भी आगे, ठोस एम्पीरिकल शोध भी यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती है कि सत्तारूढ दल चुनावी अभियान में ऐसे धन का अभूतपूर्व स्तर परव्यय करने में सक्षम पाया गया जो कि फंडिंग की अपारदर्शिता के माध्यम से उनके पास आया था जो चुनावी बांड के माध्यम से लोगों के लिए जान सकने की क्षमता से बाहर कर दिया गया था (देखें, जी. वर्नियर्स, सी. जाफ़रलॉट, कंटेम्परेरीसाउथ एशिया, 28(2): 155-177, 2020)।

चुनावी बांड का खुलासा न करना वर्तमान में न्यायिक चुनौतियों का विषय रहा है, और अब तक यह मुद्दा अनसुलझा बना हुआ है। लोकतांत्रिक राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता का महत्व यह स्पष्ट करता है कि गैरकानूनी गतिविधियों को छुपाना ही औचित्य नहीं बन जाना चाहिए। स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावों की गारंटी में निजता के अधिकार और व्यापक जनहित के बीच संतुलन बनाने के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है।

अब अंतिम प्रश्न आता है। हम देश के लोकतंत्र को बचाते हुए चुनावी बांड के माध्यम से कॉर्पोरेट फंडिंग कैसे जारी रख सकते हैं? कॉर्पोरेट फंडिंग और लोकतंत्र की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए पारदर्शिता हेतु मजबूत उपाय करना महत्वपूर्ण है। चुनावी बांड से जुड़ी समस्त जानकारी का पूर्ण और स्पष्ट प्रकटीकरण आवश्यक होने से लागू करना चाहिए; जानकारी तक रियल-टाइम में सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना और चुनावी प्रचार अभियान के समय खर्च व वित्तीय नियमों को मजबूत करना आदि जवाबदेही बनाए रखने और अनुचित प्रभाव को रोकने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देना, छोटे दानदाताओं को प्रोत्साहित करना और राजनीतिक परिदृश्य की विविधता को बढ़ावा देना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को अक्षुण्ण रखते हुए कॉर्पोरेट फंडिंग से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने में मदद कर सकता है।

संक्षेप में, भारत में चुनावी बांड कहां से आते हैं और किसे दिए जाते हैं, इसे सार्वजनिक करने के नैतिक और कानूनी प्रभावों पर अलग-अलग राय मौजूद हैं। हालाँकि, लोकतांत्रिक समाज के लिए चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा में खुलेपन, जिम्मेदारी और जनता के हित के सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, लोकतंत्र के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों की कसौटी पर परखा गया यह निष्कर्ष भारत में चुनावी बांड के बारे में प्रत्येक नागरिक के जानने के अधिकार के पक्ष में है। अत: इलेक्टोरल बांड के बारे में पूर्ण और निर्बाध पारदर्शिता लाना अनिवार्य तथा लोकतंत्र के हित में है।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ. दीप नारायण पाण्डेय
(वर्तमान में अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंगप्रोफेसर)

परीक्षा में नकल-रोचक संस्मरण

अशोक कुमार

हर परीक्षा केन्द्र के बाहर बड़े बड़े व मोटे मोटे अक्षरों में छपे हुए इश्तहार लगाये जाते हैं जिन पर लिखा होता है– परीक्षा में नकल करना पाप व एक सामाजिक बुराई है! लेकिन 'रघुपति रीत सदा चली आई..' की भान्ति नकल की रीत भी बरसों से चली आ रही है। यह न रूकी है और न इसके रूकने की कोई संभावना है।

बिहार में नकल की चर्चा तो लंबे समय से होती रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि एग्जाम में नकल का क्या इतिहास है? ये कब और कहां शुरू हुई। बच्चों के लिए एग्जाम की शुरुआत कब हुई?

परीक्षा प्रणाली की दुनिया में शुरुआत सन् 605 में चीन के सुई साम्राज्य में हुई। चीन के क्विंग साम्राज्य ने सन् 1300 में इसे खत्म कर दिया। बाद में फिर इसे लागू किया गया।

– ब्रिटेन में महारानी की सिविल सेवा के अधिकारियों की परीक्षा के जरिए चयन की शुरुआत 1806 में हुई।

नकल से संबंधित एक बहुत ही रोचक घटना मेरे साथ कानपुर में घटी! यह बात 2012 के वर्ष की है! मैं उस समय छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में कुलपति था! वार्षिक परीक्षा विभिन्न केंद्रों पर आयोजित थी और परीक्षा नकल विहीन हो इसके लिए विश्वविद्यालय ने विभिन्न समितियों, उडान दस्तों का गठन किया था! एक दिन प्रात: काल की परीक्षा में मुझे एक परीक्षा केंद्र से एक उडन दस्ते के अध्यक्ष का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे बताया एक केंद्र में सामूहिक नकल हो रही है और उन्होंने छात्रों को नकल करते हुए पकड लिया है इस कारण से केंद्राध्यक्ष ने उन को धमकी दे दी है कि अब वह केंद्र के बाहर नहीं जा सकते और उनसे यह आग्रह कर रहे हैं कि इस घटना की कोई भी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को न दी जाए! मुझे बहुत ही अफसोस लगा, दुख हुआ, आश्चर्य भी हुआ! मैंने तुरंत उडन दस्ते के अध्यक्ष महोदय को टेलीफोन पर कहा कि आप वही रहिए चिंता मत करिए मैं स्वयं उस केंद्र का निरीक्षण करने आ रहा हूं इतना कहकर मैं उस केंद्र पर यथा समय पहुंच गया! वहां पर मैंने स्वयं देखा कि छात्र बडे खुले दिल से नकल कर रहे थे! मैंने तुरंत केंद्राध्यक्ष को परीक्षा रोकने को कहा और उसके बाद मैंने उनसे और छात्रों से एक घोषणा करी कि कल से इस केंद्र पर कोई भी परीक्षा नहीं कराई जाएगी और आप सबको आज शाम तक एक नया केंद्र भी घोषित कर दिया जाएगा! यह कहकर मैं उडन दस्ते के सदस्यों के साथ कानपुर विश्वविद्यालय वापस आ गया! शाम का समय होगा एक बहुत ही रसूखदार व्यक्ति ने मेरे कमरे में प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ ही साथ उन्होंने यह कहना भी शुरू कर दिया कि कुलपति जी आपने मेरे केंद्र में कैसे प्रवेश किया, आपने कैसे कह दिया कि कल से मेरे विद्यालय के केंद्र में कोई परीक्षा नहीं होगी आप नहीं जानते मैं तत्कालीन मुख्यमंत्री जी का बहुत ही घनिष्ट मित्र हूँ! उन्होने कहा :–

मेरी तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से दूरभाष से बात हो गई है और मैंने आपकी शिकायत उनसे कर दी है उन्होंने मुझसे स्वयं कहा है कि मैं कुलपति जी के पास जाऊं और उनको पूरी बात से अवगत करा दूँ और यदि वह ना माने तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह आप के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे! मैंने उनकी तरफ देखा, मैं मुस्कुराया और मैंने उनसे कहा कि मुझे मालूम है कि आप के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से बहुत घनिष्ट संबंध है इसीलिए मैंने स्वयं परीक्षा केंद्र से वापस आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से दूरभाष पर बात करी और उनको पूरी बात की जानकारी दी! उन्होंने मुझको यह निर्देश दिया है कि मैं कुलपति के नाते पूरी ईमानदारी से और नियमानुसार कार्य करूं और जिस किसी भी केंद्र पर नकल पाई जाए उस केंद्र को तुरंत परीक्षा केंद्र से वंचित कर दिया जाए! मेरे इतना कहने के बाद वह सज्जन बहुत मधुर भाषा में मुझसे बोलने लगे :– अच्छा आपकी भाई साहब से बात हो गई है, बडी अच्छी बात है, मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे केंद्र के बारे में पुन: विचार करें और छात्रों का हित का अवश्य ध्यान दें! मैंने उनसे कहा कि देखिए कल तो उन छात्रों की परीक्षा उस केंद्र पर नहीं हो सकती लेकिन आप यदि मुझे लिखित रूप से आश्वासन दें कि आपके परीक्षा केंद्र में कोई भी नकल नहीं होगी और यदि हुई तो उस परीक्षा केंद्र को ही ना वंचित कर दिया जाए बल्कि आपके महाविद्यालय की संबद्धता भी विश्वविद्यालय रद्द कर देगा! यदि आश्वासन लिखित रूप से आपके पास से मिल जाएगा तो आप के केंद्र में पुन: परीक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी !उन सज्जन ने बहुत मुझे धन्यवाद दिया और वह मेरे कक्ष से बाहर चले गए! इस पूरे प्रकरण की वास्तविकता यह है जो मैं जानता हूं, जो मैं समझता हूं :– ना तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से कोई दूरभाष से बात करी थी और मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई दूरभाष से बात नहीं करी थी! वास्तव में मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई व्यक्तिगत दूरभाष का नंबर भी नहीं था!

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति, कानपुर विश्वविद्यालय व गोरखपुर विश्वविद्यालय (उत्तरप्रदेश)

कवि नंद चतुर्वेदी की जन्म शताब्दी पर विख्यात लघु पत्रिका "साम्य" का लोकार्पण

- **नंद बाबू केवल कवि ही नहीं कविता के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे : ओम निश्चल**
- **विस्मृति के इस दौर में साम्य का यह अंक सचमुच उत्साहवर्धक घटना है : अजय कुमार**

नई दिल्ली। नंद चतुर्वेदी बड़े अंत:करण वाले मनुष्य और कवि थे। वे उन कवियों में से थे जो सबको साथ लेकर चले। अच्छा है कि अब हिंदी कविता आलोचना की दृष्टि बदली है और हमारी भाषा के बड़े कवि के रूप में उनकी प्रतिष्ठा हो रही है। सुपरिचित आलोचक ओम निश्चल ने कवि नंद चतुर्वेदी की जन्म शताब्दी के अवसर पर विख्यात लघु पत्रिका साम्य का लोकार्पण करते हुए कहा कि नंद बाबू केवल कवि ही नहीं कविता के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे।

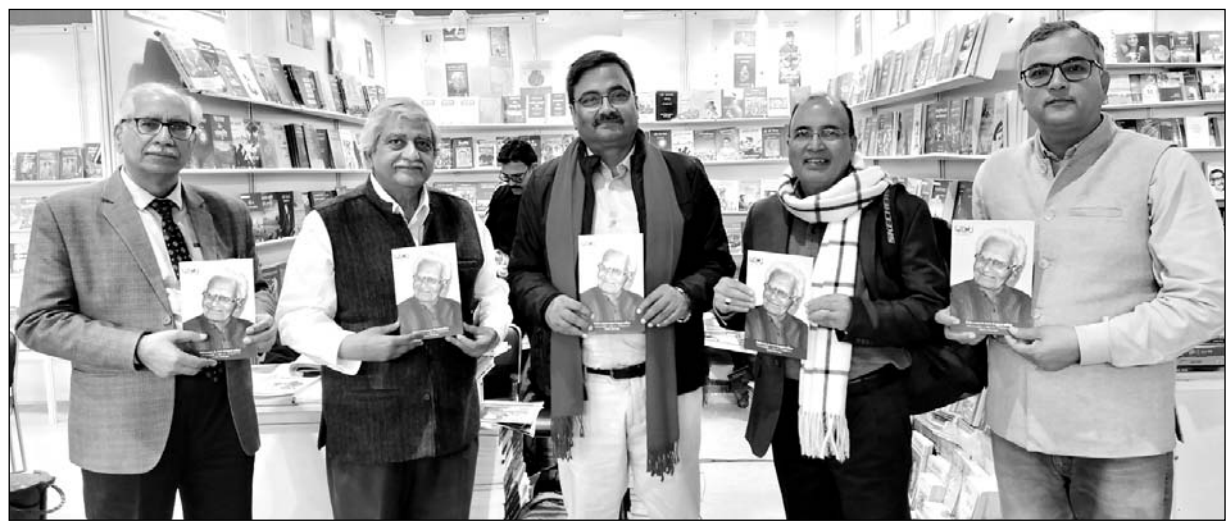

नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में लघु पत्रिका साम्य का लोकार्पण हुआ। इस दौरान सुपरिचित आलोचक ओम निश्चल, प्रो. हितेंद्र पटेल, माधव हाड़ा, अतुल कुमार आदि मौजूद रहे।

विश्व पुस्तक मेले में गार्गी प्रकाशन के स्टाल पर आयोजित लोकार्पण में निश्चल ने कहा कि अपने सादगी भरे शिल्प में भी नंद बाबू ने हमारी विडम्बनाओं को देखा-परखा। उद्भावना के सम्पादक अजय कुमार ने कहा कि विस्मृति के इस दौर में साम्य का यह अंक सचमुच उत्साहवर्धक घटना है। उन्होंने हाल में आए उद्भावना के अंक में प्रकाशित नंद चतुर्वेदी की कविताओं का जिक्र भी किया।

जाने माने आलोचक प्रो. हितेंद्र पटेल ने नंद चतुर्वेदी की कविताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि यह बाज़ार का दौर है और इस दौर में हमें अपनी स्मृतियों को बचाए रखने की चुनौती है। साम्य के इस विशेषांक का प्रकाशन बाज़ारवादी समय में कविता और संस्कृति का प्रतिकार है।

उदयपुर से आए आलोचक माधव हाड़ा ने कहा कि मैं नंद बाबू का स्नेहभाजन रहा हूँ और उन्हें याद करना मेरे लिए प्रीतिकर अनुभव है। हाड़ा ने कहा कि नॉस्टेल्जिया का जैसा रचनात्मक उपयोग नंद बाबू ने अपनी कविताओं में किया है वैसा हिंदी के किसी दूसरे समकालीन कवि के यहाँ नहीं मिलता। उनकी कविता के कई आयाम है और वे हर बार अपना मुहावरा तोड़कर नया स्वर बनाते हैं। नंद बाबू की कविता शरीर को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि देह के लिए जैसा राग और स्वीकृति नंद बाबू के मन में है वह भी कम कवियों में देखने को मिलता है।

गार्गी प्रकाशन के अतुल कुमार ने बताया कि ख़राब स्वास्थ्य के बावजूद साम्य के कंजकों का प्रकाशन सम्पादक विजय गुप्त की निष्ठा और समर्पण को दर्शाता है। संयोजन कर रहे युवा आलोचक पल्लव ने नंद चतुर्वेदी के गद्य लेखन को भी महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि पिछली सदी के अनेक भुला दिए दिए लोग नंद बाबू की गद्य कृतियों में सुरक्षित हैं।

नापासर स्टेट हाइवे 20बी के लिए सड़क निर्माण के दौरान सैकड़ों पेड़ कटेंगे

पेड़ों को काटने का नापासर कस्बावासी विरोध कर रहे हैं, कई विकल्प भी सुझाए

- **हाइवे के बीकानेर से जसरासर के बीच ही करीब 300 पेड़ काटे जाने हैं**
- **'सड़क प्रोजेक्ट में बीकानेर से जसरासर तक करीब 275 पेड़ काटने की संभावना है'**

बीकानेर, (निसं)। यहां नापासर स्टेट हाइवे 20बी के लिए सड़क निर्माण के दौरान सैकड़ों पेड़ों की बली ली जाएगी। हाइवे के बीकानेर से जसरासर के बीच ही करीब 300 पेड़ काटे जाने हैं। इनमें नीम के वह पेड़ भी चपेट में आ रहे हैं, जो लोगों को हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के प्रेरणास्त्रोत्र रहे हैं। पेड़ों को काटने का नापासर कस्बावासी जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पेड़ों को बिना काटे सड़क निर्माण के विकल्प भी सुझाए हैं। हालांकि, उन्हें इस बात की निराशा है कि संबंधित अधिकारी और विभाग उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। स्टेट हाइवे के लिए नापासर रेलवे फाटक से चुंगी चौकी तक सड़क निर्माण के लिए राजीव गांधी स्टेडियम की दीवार के पास खड़े नीम के बड़े पेड काटने शुरू कर दिए गए हैं। ठेकेदार ने कुछ पेड़ों पर आरी चलाई, तो खबर तेजी से फैली।

सूचना मिलने पर नापासर के मोहनलाल ओम नारायण लखानी ट्रस्ट के ट्रस्टी कन्हैयालाल लखाणी व कस्बेवासी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पेड़ काटने का विरोध किया। हालांकि, ठेकेदार ने सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति लेने से संबंधित कागजात भी दिखाए। कस्बावासियों ने अधिकारियों को पेड़ों के इतिहास से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि गाढ़ वाला से नापासर के बीच 25 साल पहले 500 से अधिक नीम के पौधे लखानी ट्रस्ट की ओर से लगाए गए हैं। यह संस्था तीन दशक से पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक भी कर रही है और खुद काम कर रही है। पंक्तिबद्ध लगे नीम के यह हरे-भरे पेड़ राहगीरों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। इन पेड़ों की छांव और इनका पंक्तिबद्ध खूबसूरत स्वरूप इलाके में हरियाली के लिए लोगों को प्रेरित भी करता है।

लखानी ट्रस्ट के वयोवृद्ध पर्यावरण प्रेमी ओम नारायण लखाणी ने बताया कि ट्रस्ट नापासर में विभिन्न प्रकार के पौधे निशुल्क वितरित भी करती है। जहां तक बात इन नीम के पेड़ों की है, तो इन्हें 25 साल से बच्चों की तरह पाल रहे हैं। बिना कस्बावासी और संस्था से बात किए अचानक पेड़ों पर आरी चलानी शुरू कर दी गई, जो गलत है।

पीडब्ल्यूडी एक्सईएन रघुवीरदान बीठू ने बताया कि सड़क प्रोजेक्ट में बीकानेर से जसरासर तक करीब 275 पेड़ काटने की संभावना है। इन पेड़ों की एवज में विभाग 9250 पौधे इसी सड़क मार्ग पर लगाएगा। बिना कारण एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा।

राशिफल रविवार 18 फरवरी, 2024

पंडित अनिल शर्मा

माघ मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, रविवार, विक्रम संवत 2080, रोहिणी नक्षत्र प्रात: 9:23 तक, वैधृति योग दिन 12:39 तक, कौलव करण प्रात: 8:16 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 9:54 से मिथुन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-वृष, मंगल-मकर, बुध-मकर, गुरू-मेष, शुक्र-मकर, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज गुप्त नवरात्रा समाप्त होंगे। आज महानन्दा नवमी, श्री हरि जयन्ती, रोहिणी व्रत, वैधृति पूण्य है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 8:29 से 9:53 तक, लाभ-अमृत 9:53 से 12:41 तक, शुभ 2:05 से 3:28 तक।

राहूकाल: 4:30 से 6:00 तक। सूर्योदय 7:05, सूर्यास्त 6:16

मेष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह
विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु
अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति ठीक रहेगी।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। परिवार में शुभ कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मकर
परिवार में अतिथियों का आगमन हो सकता है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मिथुन
आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी।

तुला
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कुंभ
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। अपने अति आवश्यक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में सामूहिक प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज नये-पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। मित्रों के साथ बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।